

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रपत्र सं० 289 2018 आवेदन सं० 3096/26/2018
 के श्री. विरेंद्र प्रताप सिंह गौरह

मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध कार्यालयों के अनुक्रमणियों में ता० 01/01/2003 से ता० 24/02/2018 तक तलासी की गयी है और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है: विमुक्त

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तिथि	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मौजा नरखे आरा थाना नं० 237 खेसरा नं० 5461 हराजी 35.4570							

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
 2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशत कि इनके बारे में उल्लेख हो।
 3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।
- मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त सव्यवहारों और अवमारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले अन्य सव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर) :-

(पदनाम) :- लिपिक

तलासी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर) :-

(पदनाम) :- अभिलेखपाल

कार्यालय : जिला निबंधन कार्यालय, आरा।

तारीख :- 28/02/018



मुहर निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

* टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो सव्यवहार और अवमार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं-किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित सव्यवहार (ट्रांजेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

*2 :- निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति वहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवमारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायेगी।

✓ (क) :- किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी मूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

* (ख) :- और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदन ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके द्वारा दूढ़ गये सव्यवहारों और अवमारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूढ़ गये ऐसे सव्यवहारों और अवमारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला अवर निबंधक आरा, भोजपुर

ज्ञाप संख्या.....

दिनांक 28/02/018

आवेदक श्री.....

धिरेंद्र प्रताप सिंह वर्मा

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा.....

आई डी पी आई बैंक लि०, उमा कम्पलेक्स, परना

का उनके पत्र संख्या.....

दिनांक.....

के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

28/02/018